"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 11 जून 2013—ज्येष्ठ 21, शक 1935

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 जून 2013

अधिसूचना

सेवा भर्ती नियम – 2013

क्रमांक एफ 1–29/2008/25/1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी लिपिकीय) सेवा में भर्ती से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी लिपिकीय) सेवा भर्ती नियम, 2013 कहलायेंगे।
   (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो;—
   (क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, ऐसे प्राधिकारी जिसे शासन द्वारा सेवा या पद पर नियुक्ति करने की शक्तियां सौंपी गई हों या इसके पश्चात् सौंपी जाए;

(ख) "परीक्षा" से अभिप्रेत है, इन नियमों के नियम 11 के अधीन भर्ती के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;

(ग) "शासन" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ शासन;

(घ) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;

(ङ) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित समसंख्यक अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(च) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, इन नियमों के अधीन भर्ती या पदोन्नति के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति;

(छ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(झ) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) "सेवा" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति, अधीनस्थ (तृतीय श्रेणी लिपिकीय) सेवा;

(ट) "राज्य" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**– छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**– सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात् :–

(एक) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पद मूलतः धारण कर रहे हों;

(दो) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों;

(तीन) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गए हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**– सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची-एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु शासन, समय-समय पर सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**– (1) इन नियमों के प्रवृत्त होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती, निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :–

(क) प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा या मेरिट के आधार पर चयन एवं साक्षात्कार द्वारा;

(ख) अनुसूची-चार में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पद, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाए, मूल रूप से धारण करते हों।

(2) उप-नियम (1) के खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची-दो में दर्शाए गए प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, सेवा में किसी भी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिन्हें की भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरे जाने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि शासन की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट सेवा में भर्ती के लिए उन तरीकों से भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए शासन द्वारा मापदण्ड निर्धारित किए जा सकेंगे, तथापि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस हेतु एक चयन समिति गठित किया जाना आवश्यक होगा, जो इन मापदण्डों से अन्यथा अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस अधिनियम के अधीन समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती की पात्रता की शर्तें.**– परीक्षा/चयन में स्पर्धा हेतु पात्र होने के लिए, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) आयु–

(क) अभ्यर्थी ने चयन के प्रारंभ होने की तारीख के ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो और अनुसूची–तीन के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हैं, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तक तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिल होगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी शासकीय सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए;

(दो) ऐसे अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहे हों, जिसमें कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी, और परियोजना कार्यान्वयन समिति में

नियोजित व्यक्ति भी सम्मिलित हैं, जो किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहे हैं, उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए;

(तीन) ऐसे अभ्यर्थी, जो "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" हों, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त स्थायी/अस्थायी सेवा की अधिकतम 7 वर्ष की सीमा तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "छंटनी किये गये शासकीय सेवक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो इस राज्य को या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास की कालावधि तक निरन्तर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व, स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ङ) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण— शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छः माह की कालावधि तक निरन्तर नियोजित रहा हो तथा जिसे किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो या जो अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:—

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें समय पूर्व सेवा निवृत्ति रियायतों (मस्टरिंग आऊट कन्सेशन) के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दोबारा नामांकित किया गया है और जिन्हें;
- (क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;
- (ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण कर लेने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो।

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) (जिनमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित हैं) जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किए गए हैं;

(पाँच) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया है;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हे इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है, कि वे दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं है;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण (योजना) कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग विकास विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत दम्पति के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी;

(ज) शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद्र भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवा अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 05 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों एवं नगर सेना के नान कमीशन्ड अधिकारियों की दशा में, उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु सीमा 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिलनीय होगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा आयु सीमा के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

टीप— ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपर्युक्त खण्ड (घ) उप-खण्ड (एक) तथा (दो) में वर्णित रियायतों के अधीन, परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया है, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात्, सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, तथापि, यदि आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात् उनकी सेवा या पद से छंटनी की जाती है, तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे।

(ट) उच्चतर आयु सीमा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(ठ) किसी भी मामले में, उपरोक्तानुसार उल्लिखित वर्गों में से किसी भी एक या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरान्त भी, शासकीय सेवा हेतु पात्र होने के लिए अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) **शैक्षणिक अर्हताएं**.— अभ्यर्थी के पास अनुसूची-तीन में दर्शाई गई सेवा के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए।

(3) **फीस.**– अभ्यर्थी को शासन द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए, किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी, द्वारा उसे लिखित परीक्षा/चयन के लिए निरर्हित ठहराया जा सकेगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.**– परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश के लिये अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश हेतु अनुमति नहीं दी जाएगी, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी ने प्रवेश प्रमाण–पत्र जारी न किया हो।

11. (1) **प्रतियोगिता परीक्षा/चयन द्वारा सीधी भर्ती.**– (1) **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती**– नियुक्ति प्राधिकारी तीन सदस्यों को मिलाकर एक चयन समिति गठित करेगा:–

(एक) सेवा में भर्ती के लिये परीक्षा, ऐसे अंतरालों से ली जाएगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी शासन के परामर्श से समय–समय पर अवधारित करे।

(दो) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ऐसे आदेशों के अनुसार, जैसा कि शासन के द्वारा समय–समय पर जारी किये जाएं, आयोजित की जाएगी।

(2) **चयन द्वारा सीधी भर्ती**– (क) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी अवधारित करे।

(ख) चयन समिति द्वारा अभ्यर्थियों का चयन उनके साक्षात्कार पर आधारित होगा।

(ग) चयन समिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय–समय पर गठित की जायेगी।

(3) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये, सीधी भर्ती के प्रक्रम पर पद, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार तथा शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार आरक्षित होंगे।

(4) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, उन अभ्यर्थियों की, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(5) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों को, जिन्हें नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(6) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार सीधी भर्ती के प्रक्रम पर, 30 प्रतिशत पद महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जायेंगे।

(7) ऐसे मामलो में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाता है कि आरक्षित पदों पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहाँ नियुक्ति प्राधिकारी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिये अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(8) निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पद आरक्षित होंगे।

12. **मण्डल/समिति द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची.**– (1) चयन समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची जो ऐसे स्तर से अर्हित हों, जैसा कि चयन समिति अवधारित करे, तैयार कर उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के उन अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस स्तर से अर्हित नहीं है, फिर भी प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए चयन समिति द्वारा नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किये गये हैं, नियुक्ति प्राधिकारी को भेजेगी। यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्ते) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये उसी कम में विचार किया जायेगा, जिस कम में उनके नाम सूची में आये हों।

(3) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंम्भिक चयन करने के लिये अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्यों को मिलाकर एक समिति गठित की जायेगी:

परन्तु यदि पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में पदोन्नति/चयन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य से भिन्न नामांकित सदस्य अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता, तो उसी प्रास्थिति के अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के वर्ग का एक सदस्य पदोन्नति/चयन समिति में सम्मिलित किया जाएगा तथा पदोन्नति/चयन समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।

(2) अनुसूची–चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति, उसके कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट पदों पर करने के लिए, अभ्यर्थियों की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में यथा विनिर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार की जायेगी तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(3) समिति का सम्मिलन ऐसे अन्तरालों से किया जाएगा, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक का नहीं होगा।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया उप-नियम (2) में उल्लिखित तरीकों एवं शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों के अनुसार होगी।

14. **पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिये पात्रता की शर्ते.**– (1) उप-नियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को उन पदों पर या उसके समतुल्य घोषित किसी अन्य पद या पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है, उतने वर्षों की सेवा (चाहे स्थानापन्न रूप में या मूल रूप में) जैसा कि शासन द्वारा अनुसूची-चार के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो और जो उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति की पात्रता के लिए संगणना की रीति.– वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जायेगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/वेतनमान में आने की तारीख से नहीं ।

(2) पदोन्नति छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में विहित आरक्षण रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.**– (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो नियम 14 में विहित शर्तों को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति/स्थानान्तरण के लिए उपयुक्त समझा गया हो, यह सूची चयन सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने हेतु पर्याप्त होगी।

(2) पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिये मानदण्ड, वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता (सीनियारिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) पर आधारित होंगे।

(3) प्रत्येक चयन सूची की तैयारी के समय, चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण– ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं किया जाएगा।

16. **चयन सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में उल्लिखित पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए चयन सूची होगी।

(2) चयन सूची की विधिमान्यता उस कैलेण्डर वर्ष में 31 दिसम्बर तक होगी, जिसमें पदोन्नति की सूची तैयार की गई है:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वहन अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि समिति उचित समझे तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगी।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**— (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियाँ छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार की जाएंगी।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

18. **परिवीक्षा.**— सेवा में सीधी भर्ती/पदोन्नत किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. **निर्वचन.**— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

20. **शिथिलीकरण.**— इन नियमों में की, किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परन्तु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा, जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **निरसन तथा व्यावृत्ति.**— इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं:

परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में अन्तर्विष्ट कोई भी बात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, राज्य शासन द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गये निर्देशों/आदेशों के अनुसार उपबंधित किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण, शिथिलीकरण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

अनुसूची–एक

(नियम 5 देखिए)

स.क्र	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम तथा संख्या	पदों की कुल संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**विभागाध्यक्ष कार्यालय**			
(1)	**कार्यालय अधीक्षक**	03	तृतीय श्रेणी	9300–34800+ग्रेड वेतन 4300
	1. कार्यालय आयुक्त – 02 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर।			
	2. कार्यालय संचालक, – 01 आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर।			
(2)	**सहायक अधीक्षक** कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर।	03	तृतीय श्रेणी	9300–34800+ग्रेड वेतन 4200
(3)	**कनिष्ठ लेखाधिकारी**	06	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ग्रेड वेतन 2800
	1. कार्यालय आयुक्त – 05 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर।			
	2. कार्यालय संचालक, – 01 आदिम जाति, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर।			
(4)	**सहायक ग्रेड–एक**	16	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ग्रेड वेतन 2800
	1. कार्यालय आयुक्त – 15 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर।			
	2. कार्यालय संचालक, – 01 आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर।			
(5)	**लेखापाल**	10	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400
	1. कार्यालय आयुक्त – 05 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर।			
	2. कार्यालय संचालक, – 01 आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर।			
	3. कार्यालय, वक्फ अधिकरण–01			
	4. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग–01			
	5. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग–01			

(6)	सहायक ग्रेड–2	33	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400
	1. कार्यालय आयुक्त – 18 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर।			
	2. कार्यालय संचालक, – 03 आदिम जाति, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर।			
	3. आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना–01			
	4. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी–01			(रिडिप्लॉयमेंट के माध्यम से)
	5. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड–02			
	6. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग–01			(प्रतिनियुक्ति पर)
	7. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग–01			
	8. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग–02			
	9. वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ–01			
	10 कार्यालय, छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग–01			
	11. छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी–01			(संविदा के आधार पर)
	12. वक्फ बोर्ड अन्तर्गत सर्वेक्षण आयुक्त कार्यालय,–01			(प्रतिनियुक्ति)
(7)	सहायक ग्रेड–3	62	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ग्रेड वेतन 1900
	1. कार्यालय आयुक्त–35 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर।			
	2. कार्यालय संचालक, – 06 आदिम जाति, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर।			
	3. आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना–03			
	4. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी–01			(प्रतिनियुक्ति पर)
	5. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड–04			
	6. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग–02			(प्रतिनियुक्ति पर)
	7. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग–02			
	8. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग–02			(प्रतिनियुक्ति पर)

	9. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग–02	-		(प्रतिनियुक्ति पर)
	10. वित्तीय सलाहकार प्रकोष्ठ–02			
	11. वक्फ बोर्ड अन्तर्गत सर्वेक्षण आयुक्त कार्यालय,–01			(संविदा के आधार पर)
	12. छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी–01			
(8)	**साक्ष्य लेखक (वक्फ अधिकरण)**	**01**	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ग्रेड वेतन 1900
(9)	**प्रतिलिपिकार (वक्फ अधिकरण)**	**01**	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ग्रेड वेतन 1900
(10)	**आदेशिका लेखक (वक्फ अधिकरण)**	**01**	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ग्रेड वेतन 1900
(11)	**शीघ्र लेखक ग्रेड–1 (निज सचिव)**	**06**	तृतीय श्रेणी	9300–34800+ग्रेड वेतन 4400
	1. कार्यालय आयुक्त–02 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर।			
	2. कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग—01			(प्रतिनियुक्ति पर)
	3. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग –01			
	4. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग–01			
	5. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग–01			(प्रतिनियुक्ति पर)
(12)	**शीघ्र लेखक ग्रेड–2 (निज सचिव)**	**14**	तृतीय श्रेणी	9300–34800+ग्रेड वेतन 4300
	1. कार्यालय आयुक्त–04 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर।			
	2. आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजना–01			
	3. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग–03			(प्रतिनियुक्ति पर)
	4. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग–02			(प्रतिनियुक्ति पर)
	5. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग–02			(प्रतिनियुक्ति पर)
	6. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग–02			
(13)	**शीघ्र लेखक ग्रेड–3**	**10**	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ग्रेड वेतन 2800
	1. कार्यालय आयुक्त–06 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर।			
	2. कार्यालय संचालक, -- 01 आदिम जाति, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर।			
	3. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड–01			

	4. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग–01			(प्रतिनियुक्ति पर)
	5. कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग–01			(प्रतिनियुक्ति पर)
(14)	**स्टेनो टायपिस्ट**	**10**	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ग्रेड वेतन 1900
	1. कार्यालय आयुक्त–05 आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, रायपुर।			
	2. कार्यालय संचालक, – 04 आदिम जाति, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर।			
	3. छत्तीसगढ़ उर्दू अकादमी–01			(प्रतिनियुक्ति पर)
(15)	**आडिटर (संपरीक्षक)** कार्यालय, छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड–02	**02**	तृतीय श्रेणी	9300–34800+ग्रेड वेतन 4200
2.	**अधीनस्थ कार्यालयः**			
(1)	**कार्यालय अधीक्षक**	**13**	तृतीय श्रेणी	9300–34800+ग्रेड वेतन 4300
	(क) कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास–11		तृतीय श्रेणी	
	(ख) परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र–02 रायपुर–01 बिलासपुर–01		तृतीय श्रेणी	
(2)	**शीघ्रलेखक ग्रेड–2**	**03**	तृतीय श्रेणी	9300–34800+ग्रेड वेतन 4300
	(क) कार्यालय, अखिल भारतीय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्, रायपुर–01			
	(ख) कार्यालय, अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र बिलासपुर–01			
	(ग) कार्यालय अपर संचालक, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र जगदलपुर–01			
(3)	**शीघ्रलेखक ग्रेड–3** उपायुक्त, विधि प्रकोष्ठ, आदिवासी विकास, बिलासपुर	**01**	तृतीय श्रेणी	9300–34800+ग्रेड वेतन 4200
(4)	**शीघ्रलेखक ग्रेड–3** परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास योजना	**19**	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ग्रेड वेतन 2800
(5)	**सहायक लेखाधिकारी (अधीनस्थ लेखा सेवा)** कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास	**18**	तृतीय श्रेणी	9300–34800+ग्रेड वेतन 4200
(6)	**कनिष्ठ लेखा अधिकारी** कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	**36**	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ग्रेड वेतन 2800

(7)	**सहायक ग्रेड–एक** कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास	**18**	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ग्रेड वेतन 2800
(8)	**लेखापाल**	**262**	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400
	(क) कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास– 68			सांख्येत्तर
	(ख) कार्यालय परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास योजना – 19			सांख्येत्तर
	(ग) कार्यालय विकाराखण्ड शिक्षा अधिकारी, आदिवासी विकास–85			सांख्येत्तर
	(घ) कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत–85			सांख्येत्तर
	(ङ) विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण–03			
	(च) कार्यालय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, जगदलपुर/बिलासपुर–02			
(9)	**सहायक ग्रेड–2**	**412**	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400
	(क) कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास– 114			
	(ख) कार्यालय परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास योजना– 38			
	(ग) कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, आदिवासी विकास–170			
	(घ) कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत–85			
	(ङ) विधि प्रकोष्ठ–01			
	(च) कार्यालय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र–04 रायपुर – 02, जगदलपुर–01 बिलासपुर–01			
(10)	**सहायक ग्रेड–तीन**	**566**	तृतीय श्रेणी	5200–20200+ग्रेड वेतन 1900
	(क) कार्यालय सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास– 161			
	(ख) कार्यालय परियोजना प्रशासक, एकीकृत आदिवासी विकास योजना– 57	–		
	(ग) कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी आदिवासी विकास–255			
	(घ) कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत–85			
	(ङ) विधि प्रकोष्ठ–02			
	(च) कार्यालय परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र–03 रायपुर–01, बिलासपुर–01, जगदलपुर–01			
	(छ) विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण–03			

अनुसूची—दो
(नियम 6 देखिए)

स. क्र	सेवा/पद का नाम	पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियाँ
			सीधी भर्ती/चयन द्वारा	पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा से स्थानान्तरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**विभागाध्यक्ष कार्यालय**					
(1)	कार्यालय अधीक्षक	03	—	100 प्रतिशत		
(2)	सहायक अधीक्षक	03	—	100 प्रतिशत		
(3)	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	06	—	100 प्रतिशत		
(4)	सहायक ग्रेड—1	16	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत		25 प्रतिशत चयन सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से
(5)	लेखापाल	10	—	100 प्रतिशत		
(6)	सहायक ग्रेड—2	33	—	100 प्रतिशत		
(7)	सहायक ग्रेड—3	62	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत		
(8)	साक्ष्य लेखक	01	100 प्रतिशत			
(9)	प्रतिलिपिकार	01	100 प्रतिशत			
(10)	आदेशिका लेखक	01	100 प्रतिशत			
(11)	शीघ्र लेखक (श्रेणी—1) (निज सचिव)	06	—	100 प्रतिशत		
(12)	शीघ्र लेखक (श्रेणी—2) (निज सचिव)	14	—	100 प्रतिशत		
(13)	शीघ्र लेखक (श्रेणी—3)	10	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत		
(14)	स्टेनोटायपिस्ट	10	100 प्रतिशत	—		
(15)	आडिटर (संपरीक्षक)	02	—	100 प्रतिशत		
2.	**अधीनस्थ कार्यालयः**					
(1)	कार्यालय अधीक्षक	13	—	100 प्रतिशत		
(2)	स्टेनोग्राफर ग्रेड—दो	03		100 प्रतिशत		
(3)	स्टेनोग्राफर ग्रेड—तीन	20	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत		
(4)	**सहायक लेखा अधिकारी**	18	—	—	100 प्रतिशत (वित्त विभाग से प्रतिनियुक्ति द्वारा)	
(5)	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	36	—	100 प्रतिशत		

ख	जिला संवर्ग					
(1)	सहायक ग्रेड–एक	18	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत		25 प्रतिशत चयन सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से
(2)	लेखापाल	255 07	—	100 प्रतिशत		सांख्येत्तर पदोन्नति द्वारा
(3)	सहायक ग्रेड–2	412	—	100 प्रतिशत		
(4)	सहायक ग्रेड–3	566	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत		

टीप– (1) स्टेनो टायपिस्ट के पद छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार तथा विहित योग्यता एवं प्रतिशत के अनुसार भी भरे जाएंगे।

(2) सहायक वर्ग तीन के 25 प्रतिशत पद, ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की पदोन्नति से भरे जाएंगे, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण की हो तथा जो 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों।

अनुसूची–तीन

(नियम 8 देखिए)

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	न्यूनतम आयु सीमा (वर्षों में)	अधिकतम आयु सीमा (वर्षों में)	विहित शैक्षणिक अर्हताएं	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक ग्रेड–3	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्व–विद्यालय से 10+2 पद्धति के अंतर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन, डाटा एन्ट्री/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय प्रमाणपत्र/डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिये।	
2.	शीघ्रलेखक (श्रेणी–3)	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्व–विद्यालय से 10+2 पद्धति के अंतर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त मण्ड़ल/संस्था से हिन्दी शीघ्रलेखन की परीक्षा उत्तीर्ण या शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन परिषद् से : (क) हिन्दी शीघ्रलेखक के लिए हिन्दी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट की गति से तथा हिन्दी मुद्रलेखन में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा (ख) अंग्रेजी शीघ्रलेखक के लिए अंग्रेजी शीघ्रलेखन में 100 शब्द प्रति मिनट तथा अंग्रेजी मुद्रलेखन में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से शीघ्रलेखन मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्थी से कम्प्यूटर में डाटा एन्ट्री/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय प्रमाणपत्र/डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री में 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिये।	

3.	स्टेनो टाइपिस्ट	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्व-विद्यालय से 10+2 पद्धति के अंतर्गत हायर सेकेण्डरी परीक्षा या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/संस्था से 60 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी शीघ्रलेखन तथा 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री आपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय प्रमाणपत्र/डिप्लोमा तथा डाटा एन्ट्री में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिये।	
4.	साक्ष्य लेखक	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्व-विद्यालय से 10+2 परीक्षा या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था या मण्डल से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिये।	
5.	प्रतिलिपिकार	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्व-विद्यालय से 10+2 परीक्षा या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था या मण्डल से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा प्रमाणपत्र तथा डाटा एन्ट्री में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिये।	

6.	आदेशिका लेखक	18	30	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल/विश्व-विद्यालय से 10+2 परीक्षा या स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था या मण्डल से 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण। 3. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा डाटा एन्ट्री में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिये।	

टीप– छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी के लिए उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष रहेगी।

अनुसूची—चार
(नियम 13 एवं 14 देखिए)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पद/सेवा जिस पर पदोन्नति की जानी है	पदोन्नति की अर्हता के लिए न्यूनतम कालावधि	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (नियम 14 देखिए)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
क. विभागाध्यक्ष कार्यालय				
1.	सहायक अधीक्षक/ संपरीक्षक	कार्यालय अधीक्षक	05 वर्ष	1. अपर संचालक, आदिमजाति विकास —अध्यक्ष. 2. उपायुक्त (स्थापना—02/03), आदिमजाति विकास—सदस्य. 3. उपायुक्त, (शिक्षा) आदिमजाति विकास—सदस्य. 4. संयुक्त संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य
2.	सहायक ग्रेड—1/ कनिष्ठ लेखा अधिकारी	सहायक अधीक्षक	05 वर्ष	1. अपर संचालक, आदिमजाति विकास —अध्यक्ष. 2. उपायुक्त (स्थापना—02/03), आदिमजाति विकास—सदस्य. 3. उपायुक्त, (शिक्षा) आदिमजाति विकास—सदस्य. 4. संयुक्त संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य.
3.	लेखापाल (लेखा प्रशिक्षित)	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	05 वर्ष	1. अपर संचालक, आदिमजाति विकास —अध्यक्ष. 2. उपायुक्त (स्थापना—02/03), आदिमजाति विकास—सदस्य. 3. उपायुक्त, (शिक्षा) आदिमजाति विकास—सदस्य. 4. संयुक्त संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य
4.	सहायक ग्रेड—2	सहायक ग्रेड—1	05 वर्ष	1. अपर संचालक, आदिमजाति विकास —अध्यक्ष. 2. उपायुक्त (स्थापना—02/03), आदिमजाति विकास—सदस्य. 3. उपायुक्त, (शिक्षा) आदिमजाति विकास—सदस्य. 4. संयुक्त संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य

5.	सहायक ग्रेड–2 (लेखा प्रशिक्षित)	लेखापाल	05 वर्ष	1. अपर संचालक, आदिमजाति विकास –अध्यक्ष. 2. उपायुक्त (स्थापना–02/03), आदिमजाति विकास–सदस्य. 3. उपायुक्त, (शिक्षा) आदिमजाति विकास–सदस्य. 4. संयुक्त संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान –सदस्य
6.	सहायक ग्रेड–3	सहायक ग्रेड–2	05 वर्ष	1. अपर संचालक, आदिमजाति विकास –अध्यक्ष. 2. उपायुक्त (स्थापना–02/03), आदिमजाति विकास–सदस्य. 3. उपायुक्त, (शिक्षा) आदिमजाति विकास–सदस्य. 4. संयुक्त संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान –सदस्य
7.	स्टेनो टाइपिस्ट	शीघ्रलेखक ग्रेड–3	05 वर्ष	1. अपर संचालक, आदिमजाति विकास –अध्यक्ष. 2. उपायुक्त (स्थापना–02/03), आदिमजाति विकास–सदस्य. 3. उपायुक्त, (शिक्षा) आदिमजाति विकास–सदस्य. 4. संयुक्त संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान –सदस्य
8.	शीघ्रलेखक वर्ग–2	शीघ्रलेखक वर्ग–1	05 वर्ष	1. अपर संचालक, आदिमजाति विकास –अध्यक्ष. 2. उपायुक्त (स्थापना–02/03), आदिमजाति विकास–सदस्य. 3. उपायुक्त, (शिक्षा) आदिमजाति विकास–सदस्य. 4. संयुक्त संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान –सदस्य
9.	शीघ्रलेखक वर्ग–3	शीघ्रलेखक वर्ग–2	05 वर्ष	1. अपर संचालक, आदिमजाति विकास –अध्यक्ष. 2. उपायुक्त (स्थापना–02/03), आदिमजाति विकास–सदस्य. 3. उपायुक्त, (शिक्षा) आदिमजाति विकास–सदस्य. 4. संयुक्त संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान –सदस्य

ख. अधीनस्थ कार्यालय :				
1.	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	कार्यालय अधीक्षक	05 वर्ष	1. अपर संचालक, आदिमजाति विकास — अध्यक्ष. 2. उपायुक्त (स्थापना–02/03), आदिमजाति विकास — सदस्य. 3. उपायुक्त, (शिक्षा) आदिमजाति विकास — सदस्य. 4. संयुक्त संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान — सदस्य
2.	लेखापाल (लेखा प्रशिक्षित)	कनिष्ठ लेखा अधिकारी	05 वर्ष	1. अपर संचालक, आदिमजाति विकास —अध्यक्ष. 2. उपायुक्त (स्थापना–02/03), आदिम जाति विकास —सदस्य. 3. उपायुक्त, (शिक्षा) आदिमजाति विकास —सदस्य. 4. संयुक्त संचालक, आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान —सदस्य
ग. जिला संवर्ग				
1.	सहायक ग्रेड–2/ अप्रशिक्षित लेखापाल	सहायक ग्रेड–1	05 वर्ष	1. जिला कलेक्टर —अध्यक्ष. 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत —सदस्य. 3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास —सदस्य सचिव 4. जिला शिक्षा अधिकारी —सदस्य. 5. जिले की विभागीय संस्था का एक वरिष्ठ प्राचार्य —सदस्य.
2.	सहायक ग्रेड–2 (लेखा प्रशिक्षित)	लेखापाल	05 वर्ष	1. जिला कलेक्टर–अध्यक्ष. 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–सदस्य. 3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास–सदस्य 4 जिला शिक्षा अधिकारी–सदस्य. 5. जिले की विभागीय संस्था का एक वरिष्ठ प्राचार्य–सदस्य.
3.	सहायक ग्रेड–3	सहायक ग्रेड–2	05 वर्ष	1 जिला कलेक्टर–अध्यक्ष. 2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत–सदस्य. 3. सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास–सदस्य सचिव. 4. जिला शिक्षा अधिकारी–सदस्य. 5. जिले की विभागीय संस्था का एक वरिष्ठ प्राचार्य–सदस्य.

नया रायपुर, दिनांक 1 जून 2013

क्रमांक एफ 1—29/2008/25/1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 01—06—2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. कुंजाम, संयुक्त सचिव.

Naya Raipur, the 1st June 2013.

NOTIFICATION

No. F 1-29/2008/25-1.— In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following rules, relating to the recruitment of Chhattisgarh Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development Department, sub-ordinate (Class-III Ministerial) Service, namely :-

RULES

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Chhattisgarh Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development Department sub-ordinate (Class-III Ministerial) Service Recruitment Rules, 2013.

   (2) These Rules shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.-** In these rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Appointing Authority" in respect of a service means such authority to whom the Government has conferred the powers of appointment to the service or post or may be conferred later;

   (b) "Examination" means competitive examination conducted for recruitment under rule 11 of these rules;

   (c) "Government" means the Government of Chhattisgarh;

   (d) "Governor" means the Governor of Chhattisgarh;

   (e) "Other Backward Classes" means Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No. F 8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

   (f) "Selection Committee" means Selection Committee constituted by the Appointing Authority for recruitment or promotion under these rules;

   (g) "Schedule" means Schedule appended to these rules;

   (h) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   (i) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

(j) "Service" means the Chhattisgarh Scheduled Tribe and Scheduled Caste Sub-ordinate (Class-III Ministerial) Service;

(k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application.-** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the service.

4. **Constitution of service.-** Service shall consist of the following persons, namely:-

(1) Persons, who at the commencement of these rules, are holding substantively the posts specified in Schedule-I;

(2) Persons, recruited to the service before the commencement of these rules;

(3) Persons, recruited to the service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, pay scale etc.-** The Classification of service, the scale of pay attached thereto and number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Schedule-I:

Provided that the Government may, from time to time add or reduce the number of posts included in the service or pay scale either on a permanent or temporary basis.

6. **Methods of recruitment.-** (1) Recruitment to the service, after commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely:-

(a) By direct recruitment on the basis of competitive examination or by selection on the basis of merit and interview;

(b) By promotion of members of the service as specified in Schedule-IV;

(c) By transfer of persons who hold in substantive or officiating capacity such posts in such services, as may be specified in this behalf.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of the sub-rule (1) shall not at any time, exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of posts specified in Schedule-I.

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Appointing Authority in consultation with the Government.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so requires, the Appointing Authority may, with prior concurrence of General Administration Department, adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in said sub-rule, as it may, by order issued in this behalf, prescribe.

(5) For the post to be filled up by direct recruitment on the merit basis, the criteria (norms) shall be prescribed by the Government, however it will be mandatory for Appointing Authority to constitute a Selection Committee for this purpose, which may adopt any other appropriate norms other than these norms with the consent of the Government.

(6) At the time of recruitment to the service the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jatiyon, Anusuchit Jan Jatiyon Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and directions (as amended) issued from time to time under this Act by the General Administration Department of Government shall apply.

7. **Appointment to the service.-** All appointment to the service after the commencement of these rules shall be made by Appointing Authority and no such appointment shall be made except after Selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility of Direct recruitment.-** In order to be eligible to compete in the examination/selection, a candidate must fulfill the following conditions, namely :-

(I) Age-

(a) A candidate must have attained the age as prescribed in column (3) of Schedule-III and must not have attained the age as specified in column (4) of Schedule-III on the first day of January, next following the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years, for the candidate belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall be relaxable upto 10 years to women candidates, as per the provisions of the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(d) The upper age limit shall also be relaxable in respect of candidates who are or have been employees of the Government of Chhattisgarh, to the extent and subject to the conditions specified below :-

(i) A candidate who is a permanent Government Servant, should not be above the age of 38 years;

(ii) A candidate holding a temporary post including work charge employees, contingency paid employees and person employed in Project Implementing Committee, applies for any other post should not be more than 38 years of age;

(iii) A candidate who is "retrenched Government servant" shall be allowed to deduct from his age the period of all/permanent /temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation– The term "retrenched Government Servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent unit for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than 3 years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(e) A candidate, who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence services previously rendered by him; provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than 3 years.

Explanation– The term "Ex-servicemen" denotes a person who belongs to any of the following categories and who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than 6 months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal reduction in establishment not more than 3 years before the date of his registration at any employment exchange or of

application made otherwise for employment in Government service, namely:-

(i) Ex-servicemen released under mustering out concession;

(ii) Ex-servicemen enrolled for the second time and discharged on -
  (a) completion of short term engagement;
  (b) Fulfilling the conditions of enrolment.

(iii) Ex-personnels of Madras Civil unit;

(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including Short Service Regular Commissioned Officers;

(v) Officers discharged after working for more than six month continuously against leave vacancies;

(vi) Ex-servicemen invalidated out of service;

(vii) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded out on account of gunshot wounds etc.

(f) The upper age limit shall be relaxable upto 2 years for those candidates who are holding Green Card under the Family Welfare (Planning) Programme.

(g) The upper age limit shall be relaxable up to 5 years in respect of superior caste partner of a couple awarded under Inter-caste Marriage Incentive Scheme of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes Development Department.

(h) The upper age limit shall also be relaxable up to 5 years in respect of Sahid Rajeev Pandey Award, Gundadhur Award, Maharaja Praveerchand Bhanjdev Award holder candidates and National Youth Award holder Young candidates.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 38 years of age in respect of candidates who are the employees of Chhattisgarh State Corporation/ Boards.

(j) The upper age limit shall be relaxed in the case of Voluntary Home Guards and Non-Commissioned Officers of the Home Guards for the period of service rendered so by them subject to the limit of 8 years but in no case their age should exceed 38 years and the instruction issued from time to time by the General Administration Department regarding age limit shall be applicable.

Note- Candidates, who are admitted to the examination / selection under the concessions mentioned in sub-clause (i) and (ii) of clause (d), above shall not be eligible for appointment, if after submitting the applications, they resign from service either before or after examination/selection. They will however, continue to be eligible, if they are retrenched from the service or post after submitting the applications.

(k) In respect to upper age limit, the directions issued by the Appointing Authority from time to time shall also be applicable.

(I) In any case the maximum age to get eligible for Government job shall not exceed 45 years, irrespective of age relaxation under one or more than one category mentioned above

(II) **Educational qualification-** The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule-III.

(III) **Fees -** The candidate must pay the fees prescribed by the Government.

9. **Disqualification.-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Appointing Authority to disqualify him for written examination/selection.

10. **Appointing Authority's decision about eligibility of the candidate shall be final.-** The decision of the Appointing Authority as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination/interview shall be final and no candidate to whom a Certificate of Admission has not been issued by the Appointing Authority shall be allowed to appear in the examination/interview.

11. **Direct recruitment by competitive examination/selection.– (1) Direct recruitment by competitive examination–** Appointing Authority shall constitute a Selection Committee comprising of 3 members:-

(i) The examination for recruitment to the service shall be held at such interval as the Appointing Authority, may determine, in consultation with the Government from time to time.

(ii) The examination shall be conducted by the Appointing Authority in accordance with such orders issued by the Government from time to time.

(2) **Direct recruitment by Selection–** (a) The selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Appointing Authority may determine.

(b) The selection of the candidates shall be done by the Selection Committee based on their interview; and

(c) The Selection Committee shall be constituted by the Appointing Authority from time to time.

(3) There shall be reserved post for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, at the stage of direct recruitment, in accordance with the provisions contained in the Chhattisgarh Public Service (Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes Reservation) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and as per the orders issued by the Government from time to time.

(4) In filling the vacancies so reserved, candidates, who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12, irrespective of their relative rank with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, selected by the Appointing Authority, to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.

(6) At the stage of direct recruitment, 30 percent posts shall be reserved for women candidates in accordance with the Chhattisgarh Civil Services (Special Provision for Appointment of Women) Rules, 1997.

(7) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling up the posts to be filled in, by direct recruitment and it is found in the opinion of the Appointing Authority, that sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, may not be available in sufficient number, then the Appointing Authority may relax the condition of experience to the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes.

(8) There shall be reserved post for disabled candidates in accordance with the directions issued by the General Administration Department.

12. **List of the candidates recommended by the Board/ Committee.-** (1) The Selection Committee shall prepare and forward a list to the Appointing Authority arranged in order of merit of candidates who have qualified by such standards, as may be determined by the Selection Committee and a list of the candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by such standard but are declared by the selection committee to be suitable for appointment to the service, with due regard to the maintenance of efficiency of administration shall be sent to the Appointing Authority. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respect for appointment to the service.

13. **Appointment by promotion.-** (1) There shall be constituted a Committee consisting of the members mentioned in Schedule-IV for making preliminary selection for promotion for eligible candidates:

Provided that if the nominated member other than the member presiding the Promotion/Selection Committee in respect of the posts to be filled up by promotion do not represent the category of Scheduled Castes or Scheduled Tribes then one member belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes category of the same status, shall be included in the Promotion/Selection Committee and the number of members of Promotion/ Selection Committee shall be extended to that limit.

(2) The promotion to the members of service specified in column (2) of Schedule-IV to the posts as specified in column (3) thereof, the eligibility of candidate, selection process and appointment by promotion shall be in accordance with the provisions as specified in Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules, 2003 and the instructions issued by the General Administration Department of the Government from time to time, shall apply.

(3) The committee shall meet at such intervals ordinarily not exceeding one year.

(4) Procedure for making promotions in the reserved vacancies shall be in accordance with the methods described in sub-rule (2) and instructions issued by the General Administration Department of Government from time to time.

14. **Conditions of eligibility for promotion/Transfer.-** (1) Subject to the provision of sub-rule (2), the Committee shall consider the cases of all persons, who on the first day of January of that year had completed such number of years of service (Whether officiating or substantive) on the post from which promotion is to be made or on the post or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with the provisions of sub-rule (2).

Explanation- Method of calculation for qualification of Promotion- The calculation for period of qualifying service on 1st January of the year in which the Departmental Promotion Committee/Scrutiny Committee is called, shall be calculated from the calendar year in which the public servant has joined the feeder cadre/part of service/pay scale of the post and not from the date of joining the feeder cadre/part of service/pay scale.

(2) The promotion shall be according to the reservation roster prescribed in Chhattisgarh Civil Service (Promotion) Rules, 2003.

15. **Preparation of list of the suitable candidates.-** (1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons as to satisfy the conditions prescribed in rule 14 and as are held by the committee to be suitable for promotion/transfer to the service, the list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of retirement and promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list.

(2) The criteria for preparation of select list of persons for promotion shall be based on seniority subject to fitness.

(3) The names of employees included in the select list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of each select list.

Explanation- A person, whose name is included in a select list, but who is not promoted during the validity of the list, shall have no claim of seniority over those persons considered in a subsequent selection merely by the fact of his earlier selection.

16. **Select list.-** (1) The list as finally approved by the Appointing Authority shall be the Select list for promotion of the members of the service from the posts mentioned in column (2) of Schedule-IV to the posts mentioned in column (3) of the said Schedule.

(2) The select list shall be valid for 31st December of the calendar year in which promotion list is prepared:

Provided that, in the event of a grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list, may be made at the instance of the Appointment Authority and the Committee, and he may if he thinks fit remove the name of such person from the select list.

17. **Appointments to the service from the select list.-** (1) Appointment of the employees included in select list shall be made to the post of service cadre according to Chhattisgarh Lok Seva (Padonnati) Niyam, 2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the committee before appointment of a person, whose name is included in the select list unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of his proposed appointment, there occurs any deterioration in his work, which in the opinion of the Appointing Authority is such as to render him unsuitable for appointment in the service.

18. **Probation.-** Every person directly recruited/promoted to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

19. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the State Government whose decision thereon shall be final.

20. **Relaxation.-** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the powers of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and proper:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

21. **Repeal and saving.-** (1) All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these rules.

(2) Nothing contained in these rules shall affect reservation, relaxation and other conditions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes in accordance with the instructions/orders issued by the State Government, from time to time, in this regard.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
D. D. KUNJAM, Joint Secretary.

SCHEDULE-I
(See Rule 5)

S. No.	Name of the posts and numbers included in the service	Total Number of posts	Classification	Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	**Office of the Head of Department.**			
(1)	**Office Superintendent**	**03**	Class-III	9300-34800+ Grade pay 4300
	1.Office of the Commissioner, Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development, Raipur. - 02			
	2. Office of Director, Tribal Research and Training Institute, Raipur. -01			
(2)	**Assistant Superintendent** Office of the Commissioner, Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development, Raipur	**03**	Class-III	9300-34800+ Grade pay 4200
(3)	**Junior Accounts Officer**	**06**	Class-III	5200-20200+ Grade Pay 2800
	1.Office of the Commissioner, Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development, Raipur.-05			
	2. Office of Director,Tribal Research and Training Institute, Raipur - 01			
(4)	**Assistant Grade-I**	**16**	Class-III	5200-20200+ Grade Pay 2800
	1.Office of the Commissioner, Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development, Raipur.- 15			
	2. Office of Director, Tribal Research and Training Institute, Raipur. - 01			
(5)	**Accountant**	**10**	Class-III	5200-20200+ Grade Pay 2400
	1.Office of the Commissioner, Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development, Raipur.- 05			
	2. Office of Director, Tribal Research and Training Institute, Raipur. - 01			
	3. Office of the Wakf Adhikaran. - 01			
	4. Office of the Chhattisgarh State Scheduled Caste Commission. - 01			
	5. Office of the Chhattisgarh State Minorities Commission. - 01			
	6. Office of the Chhattisgarh State Scheduled Tribe Commission. -01			

(6)	**Assistant Grade-II**	**33**	Class-III	5200-20200+ Grade Pay 2400
	1.Office of the Commissioner, Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development, Raipur.- 18			
	2. Office of Director, Tribal Research and Training Institute, Raipur.- 03			
	3. Tribal Area Development Plan - 01			
	4. Office of the Chhattisgarh State Haj Committee. - 01			(By Re-deployment)
	5. Office of the Chhattisgarh State Wakf Board - 02			
	6. Office of the Chhattisgarh State Backward Class Commission. - 01			(on deputation)
	7. Office of the Chhattisgarh Scheduled Caste Commission. - 01			
	8. Office of the Chhattisgarh State Minorities Commission. - 02			
	9. Finance Advisory Cell. - 01			
	10.Office of the Chhattisgarh Scheduled Tribe Commission. - 01			
	11. Chhattisgarh Urdu Academy. - 01			(on Contract basis)
	12. Office of the Survey Commissioner under the Wakf Board. - 01			(on deputation)
(7)	**Assistant Grade-III**	**62**	Class-III	5200-20200+ Grade Pay 1900
	1.Office of Commissioner, Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development, Raipur.- 35			
	2. Office of Director,Tribal Research and Training Institute, Raipur. - 06			
	3. Tribal ArcaDevelopment Plan - 03			
	4. Office of the Chhattisgarh State Haj Committee. - 01			(on deputation)
	5.Office of the Chhattisgarh State Wakf Board.- 04			
	6. Office of the Chhattisgarh State Backward Classes Commission. - 02			(on deputation)
	7. Office of the Chhattisgarh State Scheduled Caste Commission. - 02			
	8. Office of the Chhattisgarh State Minority Commission.-02			(on deputation)
	9. Office of the Chhattisgarh State Scheduled Tribe Commission. - 02			(on deputation)
	10. Finance Advisory Cell.- 02			

	11. Office of the Survey of Commissioner under Wakf Board. - 01			(On Contract basis)
	12. Chhatisgarh Urdu Academy. - 01			
(8)	**Witness Writer (Wakf Adhikaran)**	**01**	Class-III	5200-20200+ Grade Pay 1900
(9)	**Pratilipikar (Copyist) (Wakf Adhikaran)**	**01**	Class-III	5200-20200+ Grade Pay 1900
(10)	**Process Writer (Wakf Adhikaran)**	**01**	Class-III	5200-20200+ Grade Pay 1900
(11)	**Stenographer Grade-I** (Personal Secretary)	**06**	Class-III	9300-34800+ Grade Pay 4400
	1.Office of the Commissioner, Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development, Raipur.- 02			
	2. Office of the Chhattisgarh State Scheduled Tribe Commission. - 01			(On deputation)
	3. Office of the Chhattisgarh State Backward Class Commission.- 01			(On deputation)
	4. Office of the Chhattisgarh State Scheduled Caste Commission. - 01			
	5. Office of Chhattisgarh State Minority Commission. - 01			(On deputation)
(12)	**Stenographer Grade-II** (Personal Assistant)	**14**	Class-III	9300-34800+ Grade Pay 4300
	1.Office of the Commissioner, Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development, Raipur.- 04			
	2. Tribal Area Development Plan -01			
	3. Office of the Chhattisgarh State Scheduled Tribe Commission. - 03			(On deputation)
	4. Office of the Chhattisgarh State Other Backward Classes Commission.- 02			(On deputation)
	5. Office of the Chhattisgarh State. Scheduled Caste. Commission. - 02			(On deputation)
	6. Office of the Chhattisgarh State Minority Commission. - 02			
(13)	**Stenographer Grade-III**	**10**	Class-III	5200-20200+ Grade Pay 2800
	1. Office of the Commissioner, Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development, Raipur.-06			
	2. Office of Director, Tribal Research and Training Institute, Raipur. - 01			

	3. Office of Chhattisgarh State Wakf Board. - 01			
	4. Office of Chhattisgarh State Scheduled Tribe Commission. - 01			(On deputation)
	5. Office of Chhattisgarh State Minority Commission.- 01			(On deputation)
(14)	**Steno Typist**	10	Class-III	5200-20200+ Grade Pay 1900
	1. Office of the Commissioner, Scheduled Tribe and Scheduled Caste Development, Raipur.- 05			
	2. Office of Director, Tribal Research and Training Institute, Raipur.- 04			
	3. Chhatisgarh Urdu - 01 Academy			(on deputation)
(15)	**Auditor (Samparikshak)** Office of Chhattisgarh State Wakf Board	02	Class-III	9300-34800+ Grade Pay 4200
2.	**Sub-Ordinate Office :**			
(1)	**Office Superintendent**	13	Class-III	9300-34800+ Grade Pay 4300
	(a) Office of Assistant Commissioner, Tribal Development. - 11		Class-III	
	(b) Pre-examination Training Centre. - 02 Raipur-01 Bilaspur-01		Class-III	
(2)	**Stenographer Grade-II**	03	Class-III	9300-34800+ Grade Pay 4300
	Office of All India Pre examination Center Raipur. - 01			
	(b) Office of the Additional Director, Pre-examination Center Bilaspur. - 01			
	(c) Office of the Additional Director, Pre-examination Center Jagdalpur. - 01			
(3)	**Stenographer Grade-III** Deputy Commissioner, Legal Cell, Tribal Development, Bilaspur	01	Class-III	9300-34800+ Grade Pay 4200
(4)	**Stenographer Grade-III** Project Administrator, Integrated Tribal Development Plan.	19	Class-III	5200-20200+ Grade Pay 2800
(5)	**Assistant Accounts Officer (Sub-ordinate Accounts Service)** Office of Assistant Commissioner Tribal Development	18	Class-III	9300-34800+ Grade Pay 4200
(6)	**Junior Accounts Officer** Office of Assistant Commissioner Tribal Development	36	Class-III	5200-20200+ Grade Pay 2800
(7)	**Assistant Grade-I** Office of Assistant Commissioner Tribal Development	18	Class-III	5200-20200+ Grade Pay 2800

(8)	**Accountant**	**262**	Class-III	5200-20200+ Grade Pay 2400
	(a) Office of Assistant Commissioner Tribal Development - 68			Supernumerary
	(b)Office of Project Administrator, Integrated Tribal Development. Plan. - 19			Supernumerary
	(c)Office of Block Education Officer Tribal Development.- 85			Supernumerary
	(d) Office of Chief Executive Officer, Janpad Panchayat.- 85			Supernumerary
	(e) Primitive Tribe Agency. -03			
	(f)Office of Pre Examination Training Center Jagdalpur / Bilaspur. - 02			
(9)	**Assistant Grade-II**	**412**	Class-III	5200-20200+ Grade Pay 2400
	(a) Office of Assistant Commissioner Tribal Development- 114			
	(b) Office of the Project Administrator, Integrated Tribal Development Plan.- 38			
	(c)Office of Block Education Officer, Tribal Development.- 170			
	(d) Office of Chief Executive Officer, Janpad Panchayat.- 85			
	(e) Legal Cell. - 01			
	(f)Office of Pre Examination Training Center- - 04 Raipur -02 Jagdalpur -01 Bilaspur -01.			
(10)	**Assistant Grade-III**	**566**	Class-III	5200-20200+ Grade Pay 1900
	(a) Office of Assistant Commissioner Tribal Development - 161			
	(b)Office of the Project Administrator, Integrated Tribal Development Plan - 57			
	(c)Office of Block Education Officer Tribal Development.-255			
	(d) Office of Chief Executive Officer, Janpad Panchayat.- 85			
	(e) Legal Cell - 02			
	(f)Office of Pre-Examination Training Center.- 03 **Raipur -01** **Bilaspur -01** **Jagdalpur -01.**			
	(g) Special Backward Tribal Agency. - 03			

SCHEDULE-II

(See Rule 6)

S. No.	Name of Service/Posts	Total Number of Posts	Percentage of the number of duty posts to be filled in			Remarks
			By Direct Recruitment /Selection	By Promotion	By Transfer from other service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	**Head of the Department Office**					
(1)	Office Superintendent	03	-	100%		
(2)	Assistant Superintendent	03	-	100%		
(3)	Junior Accounts Officer	06	-	100%		
(4)	Assistant Grade-I	16	25%	75%		25% Selection through limited departmental examination
(5)	Accountant	10	-	100%		
(6)	Assistant Grade-II	33	-	100%		
(7)	Assistant Grade-III	62	75%	25%		
(8)	Witness Writer	01	100%			
(9)	Pratilipikar	01	100%			
(10)	Order Writer	01	100%			
(11)	Stenographer (Grade-I) (Personal Secretary)	06	-	100%		
(12)	Stenographer (Grade-II) (Personal Assistant)	14	-	100%		
(13)	Stenographer (Grade-III)	10	50%	50%		
(14)	Steno-typist	10	100%	-		
(15)	Auditor (Samparikshak)	02	-	100%		
2.	**Subordinate Offices:**					
(1)	Office Superintendent	13	-	100%		
(2)	Stenographer Grade-2	03		100%		
(3)	Stenographer Grade-3	20	50%	50%		
(4)	**Assistant Accounts Officer**	18	-	-	100% **(Deputation From Finance Department)**	
(5)	Junior Accounts Officer	36	-	100%		

B.	DISTRICT CADRE					
(1)	Assistant Grade-I	18	25%	75%		25% Selection through limited departmental examination
(2)	Accountant	255 07		100%		Supernumerary By promotion
(3)	Assistant Grade-II	412	...	100%		
(4)	Assistant Grade-III	566	75%	25%		

Note - (1) The posts of steno-typist will be filled in as per the instructions issued by the General Administration Department, Government of Chhattisgarh from time to time and also as per prescribed qualification and percentage.

(2) 25% posts of Assistant Grade-III will be filled in, by promotion of Class-IV employees, who have passed High Secondary Examination under 10+2 system from any recognized Board and have completed five years of service.

SCHEDULE-III
(See Rule 8)

Age and qualification of persons to be directly recruited

Name of Department	Name of the Service/Post	Minimum age limit (in years)	Maximum age limit (in years)	Prescribed educational qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Department.	Assistant Grade-III	18	30	1. Should have passed Higher Secondary under 10+2 system or 1st year examination in Bachelor Degree from any recognized Board/ University. 2. Should have passed Hindi typing with speed of 25 wpm. From any recognized Board/ Institution. 3. Should possess 1 year certificate /diploma in Computer Application Data Entry/Programming from any recognized Institution and should have speed of 5,000 key depressions per hour.	
	Stenographer (Grade-III)	18	30	1. Should have passed Higher Secondary under 10+2 system or 1st year examination in Bachelor Degree from any recognized Board/University. 2. Should have passed Hindi Shorthand from any recognized Board/ Institution or Shorthand and Typing Council: (a) Shorthand typing examination with speed of 100 wpm in Hindi shorthand, 25 wpm in Hindi typing for Hindi Stenographer. (b) Shorthand typing examination with speed of 100 wpm in English shorthand, 30 wpm in English typing for English Stenographer. 3. Should possess 1 year certificate/ diploma in Computer Data Entry/ Programming from any recognized Institution and should have speed of 10,000 key depressions per hour.	
3.	Steno-typist	18	30	1. Should have passed Higher Secondary under 10+2 system or 1st year examination in Bachelor Degree from any recognized Board/ University.	

				2. Should have passed from any recognized Board/ Institution Shorthand typing examination with speed of 60 wpm in Hindi shorthand and 25 wpm in Hindi typing. 3. Should possess 1 year certificate /diploma in Data Entry Operator/ Programming from any recognized Institution and should have speed of 5,000 key depression per hour in data entry.	
4.	Witness Writer	18	30	1. Should have passed 10+2 Examination or 1st year of Degree course from any recognized Board/ University. 2. Should have passed Hindi Typing Examination with speed of 25 word per minute from any recognized Institution or Board. 3. Should possess one year Diploma/Certificate in Data entry/Programming from any recognized Institution and 5000 key Depression per hour in Data entry.	
5.	Pratilipikar (copiest)	18	30	1. Should have passed 10+2 Examination or 1 st year of Degree course from any recognised Board/ University. 2. Should have passed Hindi Typing Examination with speed of 25 word per minute from any recognised Institution or Board. 3. Should Possess one year Diploma/Certificate in Data entry/ Programming from any recognized Institution and 5000 key Depression per hour in Data entry.	
6.	Order Writer	18	30	1. Should have passed 10+2 Examination or 1 st year of Degree course from any recognized Board/University.	

				2. Should have passed Hindi Typing Examination with speed of 25 word per minute from any recognized Institution or Board. 3. Should possess one year Diploma/Certificate in Data entry/ Programming from any recognized Institution and 5000 key Depression per hour in Data entry.	

Note - The upper age limit for the benefited resident of Chhattishgarh State will be 35 years

SCHEDULE-IV
(See Rule 13 and14)

Name of Department	Name of Service/post from which promotion is to be made	Name of post/ service to which promotion is to be made	Minimum period to qualify for promotion	Name of Member of Departmental Promotion Committee (See rule 14)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	A- Head of Department Office			
Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Department.	1. Assistant Superintendent / Auditor	Office Superintendent	5 years	1. Additional Director, Tribal Development-Chairman. 2.Deputy Commissioner, (Establishment -02/03) Tribal Development – Member 3.Deputy Commissioner, (Education) Tribal Development – Member 4. Joint Director Tribal Research and Training Institution- Member
	2.Assistant Grade-I/ Junior Accounts Officer	Assistant Superintendent	5 years	1. Additional Director, Tribal Development-Chairman. 2.Deputy Commissioner, (Establishment -02/03) Tribal Development – Member 3.Deputy Commissioner, (Education) Tribal Development – Member 4. Joint Director Tribal Research and Training Institution- Member
	3.Accountant (Accounts Trained)	Junior Accounts Officer	5 years	1. Additional Director, Tribal Development-Chairman. 2.Deputy Commissioner, (Establishment 02/03) Tribal Development – Member 3.Deputy Commissioner, (Education) Tribal Development – Member

				4. Joint Director Tribal Research and Training Institution- Member
	4.Assistant Grade-II	Assistant Grade-I	5 years	1. Additional Director, Tribal Development-Chairman. 2. Deputy Commissioner, (Establishment 02/03) Tribal Development – Member 3.Deputy Commissioner, (Education) Tribal Development – Member 4. Joint Director Tribal Research and Training Institution- Member
	5. Assistant Grade-II (Accounts Trained)	Accountant	5 years	1. Additional Director, Tribal Development-Chairman. 2. Deputy Commissioner, (Esstt-02/03) Tribal Development – Member 3.Deputy Commissioner, (Education) Tribal Development – Member 4. Joint Director Tribal Research and Training Institution- Member
	6.Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 years	1. Additional Director, Tribal Development-Chairman. 2.Deputy Commissioner, (Establishment-02/03) Tribal Development – Member 3. Deputy Commissioner, (Education) Tribal Development – Member 4. Joint Director Tribal Research and Training Institution- Member

	7.Steno-typist	Stenographer Grade-III	5 years	1. Additional Director, Tribal Development-Chairman. 2. Deputy Commissioner, (Esstt-2/03) Tribal Development – Member 3. Deputy Commissioner, (Education) Tribal Development – Member 4. Joint Director Tribal Research and Training Institution- Member
	8.Stenographer Grade-II	Stenographer Grade-I	5 years	1. Additional Director, Tribal Development-Chairman. 2. Deputy Commissioner, (Establishment -02/03) Tribal Development – Member 3. Deputy Commissioner, (Education) Tribal Development – Member 4. Joint Director Tribal Research and Training Institution- Member
	9.Stenographer Grade-III	Stenographer Grade-II	5 years	1. Additional Director, Tribal Development-Chairman. 2. Deputy Commissioner, (Establishment 02/03) Tribal Development – Member 3. Deputy Commissioner, (Education) Tribal Development – Member 4. Joint Director Tribal Research and Training Institution- Member
	D- Subordinate Officers			
	Junior Accounts Officer	Office Superintendent	5 years	1. Additional Director, Tribal Development-Chairman. 2. Deputy Commissioner, (Establishment 02/03) Tribal Development – Member

				3. Deputy Commissioner, (Education) Tribal Development – Member 4. Joint Director Tribal Research and Training Institution- Member
	Accountant (Accounts trained)	Junior Accounts Officer	5 years	1. Additional Director, Tribal Development- Chairman. 2. Deputy Commissioner, (Establishment 02/03) Tribal Development – Member 3. Deputy Commissioner, (Education) Tribal Development – Member 4. Joint Director Tribal Research and Training Institution- Member
	C- District Cadre:			
	Assistant Grade-II / Untrained Accounts	Assistant Grade-I	5 years	1. District Collector- Chairman. 2. Chief Executive Officer, District Panchayat - Member. 3. Assistant Commissioner Tribal Development- Member Secretary. 4. District Education Officer- Member. 5. Senior Principal of District Departmental Institute- Member.
	Assistant Grade-II (Accounts Trained)	Accountant	5 years	1. District Collector- Chairman. 2. Chief Executive Officer, District Panchayat - Member. 3. Assistant Commissioner Tribal Development- Member. 4. District Education Officer- Member.

				5. Senior Principal of District Departmental Institute-Member.
	Assistant Grade-III	Assistant Grade-II	5 years	1. District Collector-Chairman. 2. Chief Executive Officer, District Panchayat -Member. 3. Assistant Commissioner Tribal Development-Member Secretary. 4. District Education Officer -Member. 5. Senior Principal of District Departmental Institute-Member.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2013.